

न्यायालय, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक



वाद सं०-108 / 2021

धारा-107 द०प्र०सं०

उभय पक्ष प्रथम पक्ष

बनाम

उभय पक्ष द्वितीय पक्ष

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र की गई तिथि एवं दिवसीय संकेत
	<p>अभिलेख संख्या-एम०-<u>08</u> / 2021 में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी <u>राँची डी.पी.ओ.</u> के अप्राथमिकी सं०-<u>01/20</u> दिनांक-<u>20-01-2021</u> के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>ड्रेक्टर का लेक</u> <u>उभय पक्ष के विवाद है।</u></p> <p>जिससे रांगावना है कि परिशांति बंग होगी या लोक परिशांति सुध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असतोपकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति बंग हो जाएगी या लोक परिशांति सुध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं सत्यम कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उरसे/उनसे प्रत्येक को 50,000(पचास हजार) रु० का बन्ध पत्र उरसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>19/02/2021</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)</p>	

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई एवं तारीख सहित
05-07-21	<p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष को लोक 01.02 उपस्थित अन्य अधिकता हाजरी। द्वितीय पक्ष अधिकता हाजरी। द्वितीय पक्ष की कोरे से प्रमाण दालित किया गया। प्रथम पक्ष की कोरे से गवाही मिलीक हजाम से परीक्षण तथा परिपरीक्षण लिया गया तथा गवाही से उक्त किया गया प्रथम पक्ष गवाही से दिनांक 23-08-2021 को 2 रखा।</p> <p style="text-align: right;">1/1/21</p>	
<u>23/08</u>	<p>प्रथम पक्ष से श्राव व्याप से आवेक किया गया है। द्वितीय पक्ष हाजरी दी गई। पीढागत दस्तावेजारी अन्य कार्य में पत्र। दिनांक 06/09/2021 को रखा।</p> <p style="text-align: right;">3-</p>	
06.09.2021	<p>अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष अधिकता हाजरी की गई। बाद में वैधानिक समप-क्षीमा दः मास पूर्ण से युक्त है अर्थात् कालवाधित हो गया है। अतः बाद में अभिलेख की कार्यवाही को बंद ही जानी है।</p> <p style="text-align: right;">6/9/21 कार्य दस्तावेज सुध</p>	